न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 46 / 2017

नत्थूराम उम्र 67 वर्ष पुत्र बिड़दाराम जाति बलाई निवासी ग्राम प्रतापपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान

.... वादी

बनाम

1. नरोतमलाल उम्र 40 वर्ष पुत्र हनुमानप्रसाद सांखला जाति खटीक निवासी कस्बा फतेहपुर वार्ड नं. 23 मोहल्ला खटीकान तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
2. रिद्धकरण उम्र 55 वर्ष पुत्र चौथूराम जाति बलाई निवासी मौहल्ला टीबड़ों का कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
3. तहसीलदार फतेहपुर
4. पटवारी पटवार हल्का कस्बा फतेहपुर।

.... प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा

उपस्थित अधिवक्ता

श्री अनिल बाटड़ – वादी

निर्णय

दिनांक:– 12.03.2018

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कस्बा फतेहपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 249 रकबा 1.88 हैक्टर व खसरा नंबर 251 रकबा 2.35 हैक्टर कुल रकबा 4.23 हैक्टर में से 1/6 हिस्सा अर्थात 0.705 हैक्टर भूमि के रेकार्ड हेतु खातेदार काबिज काश्तकार प्रकाश, ताराचंद पुत्रगण रामकुमार व नीतू व धानी पुत्रियांक रामकुमार जाति चमार निवासी कस्बा फतेहपुर ने दिनांक 31.07.2007 को उक्त भूमि में से पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये 0.705 हैक्टर में से 0.5332 हैक्टर भूमि रिद्धकरण पुत्र चौथूराम जाति बलाई निवासी फतेहपुर को विक्रय कर दी थी और क्रयशुदा भूमि का खाता जरिये नामान्तरण सं. 3679 दिनांक 25.02.2008 को खाता बन चुका था।

उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 249 व 251 वाके फतेहपुर के 0.5332 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदार रिद्धकरण ने अपनी संपूर्ण कृषि भूमि 0.5332 हैक्टर भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये दिनांक 22.02.2010 को प्रतिवादी सं. एक नरोतमलाल पुत्र हनुमानप्रसाद सांखला जाति खटीक निवासी फतेहपुर को विक्रय कर दी थी और उक्त नरोतमलाल ने दिनांक 01.03.2012 को पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये वादी को कस्बा फतेहपुर में स्थित उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 249 रकबा 1.88 हैक्टर व खसरा नंबर 251 रकबा 2.35 हैक्टर भूमि कुल रकबा 4.23 हैक्टर भूमि में से 0.5332 हैक्टर भूमि 4,50,000/– रुपये में विक्रय कर दी थी। जिसका पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक महोदय, सीकर में वादी के पक्ष में प्रतिवादी सं. एक के द्वारा करवाया गया था क्रय के दिन से लेकर वादी अपनी क्रयशुदा भूमि पर बतौर हकर अधिकार के काबिज चला आ रहा है वादी अपनी क्रयशुदा भूमि 0.5332 हैक्टर भूमि का खाता अपने नाम बनवाने का अधिकार है और खाता बनाम रिद्धकरण पुत्र चौथूराम जाति बलाई निवासी फतेहपुर का निरस्त किये जाने योग्य है और शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

वादी द्वारा उक्त कृषि भूमि क्रय करने के बाद उक्त कृषि भूमियों के खसरा नंबर 249 के खसरा नंबर 249/1 व 249/2 व 249/3 व खसरा नंबर 251 के खसरा नंबर 251/1 व 251/2 व 251/3 जरिये नामान्तरकरण सं. 5553 दिनांक 05.12.2014 को किया गया है वादी द्वारा क्रय किया हिस्से के भूमि के खसरा नंबर 249/1, 249/3 व 251/1, 251/3 है जिसमें से वादी 0.3552 हैक्टर का खातेदार काश्तकार मालिक है तथा वादी की 0.1800 हैक्टर भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अधिग्रहित हो गई जिसके खसरा नंबर 251/2 व 249/2 है।

प्रतिवादी सं. 2 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. एक को दिनांक 31.07.2007 को विक्रय कर दिया था तथा प्रतिवादी सं. एक ने अपना हिस्सा मुझ वादी को दिनांक 01.03.2012 पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये विक्रय कर दिया था उपरोक्तानुसार उक्त विक्रीत भूमि में प्रतिवादी सं. 1 व 2 का हक हिस्सा समाप्त हो गया था और क्रयशुदा भूमि में मुझ वादी के हक अधिकार समाहित हो चुके है जिसका खाता वादी अपने नाम बनवाने का अधिकारी है।

वादी ने दिनांक 25.09.2017 को उक्त खाते की नकल पटवार हल्का से लिये जाने पर उसे इस बात का पता चला कि उसके नाम पर अभी तक उक्त भूमियों का नामान्तरण दर्ज नही हुआ है तब वादी ने इस संबंध में प्रतिवादी सं. 3 व 4 से सम्पर्क कर उसके नाम से खाता दर्ज करने को कहा तो उन्होने अपनी असमर्थता जाहिर कि जिसके कारण उपरोक्त भूमियों का खाता बनवाने हेतु वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस कदर डिक्री किया जाकर वादी को जमाबंदी में वर्णित भूमि खसरा नंबर 249/1 व 249/3 एवं खसरा नंबर 251/1 व 251/3 के रकबा 0.3532 हैक्टर भूमि का खाता जो रिद्धकरण पुत्र चौथूराम के नाम से दर्ज है का खातेदार उद्घोषित किया जावे।

उक्त भूमियों का वर्तमान खाता जो रिद्धकरण पुत्र चौथूराम के नाम से दर्ज है और जिसका रकबा 0.3532 हैक्टर है वह निरस्त किया जावे।

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र जमाबन्दी में वर्णित भूमि खसरा नंबर 249/1 व 249/3 एवं खसरा नंबर 251/1 व 251/3 के रकबा 0.3532 हैक्टर भूमि का खाता जो रिद्धकरण पुत्र चौथूराम के नाम से दर्ज है का खातेदार वादी को उदघोषित किया जावे तथा उक्त भूमियों का वर्तमान खाता जो रिद्धकरण पुत्र चौथूराम के नाम से दर्ज है और जिसका रकबा 0.3532 हैक्टर है वह निरस्त किया जावे।

आदेश

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध दिनांक 08.12.17 को बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में तहसीलदार फतेहपुर से रिपोर्ट तलब की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं तहसीलदार फतेहपुर की रिपोर्ट पर मनन किया गया। अतः वाद डिक्री किया जाता है कि कस्बा फतेहपुर की भूमि खसरा नम्बर 249/1 व 249/3 एवं खसरा नम्बर 251/1 व 251/3 कुल रकबा 0.3532 है. भूमि का खाता खातेदार वादी को उदघोषित किये जाने एवं वर्तमान खाता निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * फतेहपुर (सीकर) *

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.................मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

इजलास..........रेनू मीणा (आर.ए.एस..)...

नत्थूराम उम्र 67 वर्ष पुत्र बिड़दाराम जाति बलाई निवासी ग्राम प्रतापपुरा तहसील लक्ष्मनगढ़ जिला सीकर राजस्थान

.... वादी

बनाम

1. नरोतमलाल उम्र 40 वर्ष पुत्र हनुमानप्रसाद सांखला जाति खटीक निवासी कस्बा फतेहपुर वार्ड नं. 23 मोहल्ला खटीकान तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
2. रिद्धकरण उम्र 55 वर्ष पुत्र चौथूराम जाति बलाई निवासी मौहल्ला टीबड़ों का कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
3. तहसीलदार फतेहपुर
4. पटवारी पटवार हल्का कस्बा फतेहपुर।

.... प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा

मुकद्मा नं.....46.............................सन्....2017..

यह मुकद्मा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........मेरे..

व हाजिरी...श्री अनिल बाटड़ एडवोकेट.........................मिनजानिब मुदई रूबरू.......श्री ....

..................................मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि कस्बा फतेहपुर की भूमि खसरा नम्बर 249/1 व 249/3 एवं खसरा नम्बर 251/1 व 251/3 कुल रकबा 0.3532 है. भूमि का खाता खातेदार वादी को उदघोषित किये जाने एवं वर्तमान खाता निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा।

निज.........– ....मुबलिग.................–...................बाबत.........................–.......................

खर्चा इस मुकद्में के मय शूद बशरह.................–...........................फीसदी सालाना आज की तारीख से तरीख अदायगी तक...का अदा करें।

[illegible] के दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....12......माह ......मार्च..........सन् 2018 को जारी की

दस्तखत.................. अधिकारी

ओहदा........उपखण्ड.....................................

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	–	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महन्ताना वकील	–		महन्ताना वकील	–	
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान	–	
फीस कमिश्नर	–		फीस कमिश्नर	–	
बबत इजराय हुक्मनामा	–		बबत इजराय हुक्मनामा	–	
मुतफरिक	–		मुतफरिक	–	
मीजान	3			–	

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।